इस प्रकार प्रत्येक समाज के अस्तित्व को बचाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि समाज में आधुनिकीकरण हो। आधुनिकीकरण के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र एवं समाजों को विश्व के दूसरे राष्ट्रों एवं समाजों के बराबर ला सकते हैं। यदि इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को कर पाने में कोई समाज असमर्थ रहता है, तो दूसरे समाज उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, जो समाज को व्यवस्थित, तीव्र तथा कल्याकारी आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से नहीं होनी चाहिये कि वह अपनी मूल संस्कृति को ही भुला दे और दूसरे समाज की संस्कृति को पूर्णतः ग्रहण कर ले।

## लोकतन्त्र, औद्योगीकरण और व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचारों द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तनों का परिचय

## Historical Changes Introduced by Industrialization, Democracy and Ideas of Individual Autonomy

शिक्षा के सामाजिक आधारों की अवधारणा को स्पष्ट किया जाय तो यह तथ्य सामने आता है कि शिक्षा एवं समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक ओर जहाँ शिक्षा द्वारा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है वहीं दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास भी सम्भव होता है। शिक्षा के अभाव में मानव को पशु की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा विहीन समाज को मानव समाज नहीं कहा जा सकता वरन् उसको पशु समाज का नाम दिया जा सकता है। इसलिये शिक्षा को समाज का आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। लोकतन्त्र, औद्योगीकरण, व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचार, समानता और सामाजिक न्याय से सम्बन्धित समाज के सन्दर्भ में सामाजिक शिक्षा के आधारभूत तत्त्वों को शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है क्योंकि जब तक समाज में आधारभूत सुविधाएँ एवं व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं होंगी तब तक सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती उसको व्यावहारिक रूप प्रदान नहीं किया जा सकता।

## औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप

## Background and Nature of Industrial Production

औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप दोनों का ही सम्बन्ध शिक्षा से होता है। वर्तमान रूप में इन दोनों तथ्यों का समन्वयन इसलिये आवश्यक है कि प्राचीनकाल में भी इसका समन्वित रूप समाज में विद्यमान था। सन् 1947 से पूर्व भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी किन्तु शिक्षा के अभाव में उनका उचित विदोहन नहीं किया जा रहा था। इसलिये ये संसाधन उत्पादन के अंग नहीं थे। अंग्रेजों ने भारत में इन संसाधनों का उपयोग उद्योगों के आधार पर करना प्रारम्भ किया अर्थात् कच्चे माल को अपनी फैक्ट्रियों में तैयार करके विश्व बाजार में बेचना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने धन कमाकर अपनी आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ किया जबकि शिक्षा के अभाव में भारत ने अपने संसाधनों का उपयोग नहीं किया। उद्योगों का प्रमुख आधार शिक्षा है और शिक्षा का सर्वोत्तम उपयोग औद्योगीकरण है। औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

### 1. औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि

### Background of Industrial Production

औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि शिक्षा एवं समाज दोनों पर ही निर्भर करती है। आधुनिक

समाज में शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ है तथा सामाजिक विकास की गति तीव्र है परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की स्थिति भी तीव्र है। औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि को अग्रलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) औद्योगिक उत्पादन समाज की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जिस समाज में शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ होती है उस समाज के नागरिकों के ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। परिणाम-स्वरूप उनकी आवश्यकताएँ भी अधिक होती हैं जिससे उत्पादन तथा औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भी तीव्रता देखी जाती है। (2) समाज में उपभोग का स्तर भी उत्पादन को प्रभावित करता है। वर्तमान आधुनिक समाज में विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं की आवश्यकता इसलिये अधिक है क्योंकि समाज में उनका उपयोग अधिक है। इस प्रकार कार, एयर कण्डीशनर एवं फ्रिज आदि का उद्योग व्यापक रूप से प्रगति कर रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में टी.वी. एवं संगीत सम्बन्धी उपकरण भी बढ़ रहे हैं। (3) समाज के विकास का स्तर भी औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि होती है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर उच्च होता है उस समाज का प्रत्येक क्षेत्र में विकास तीव्र होता है। इसके परिणामस्वरूप मानवीय माँग की पूर्ति हेतु उत्पादन की स्थिति में भी तीव्रता से वृद्धि होती है। (4) जिस समाज में संसाधनों की प्रचुरता होती है उस समाज में औद्योगिक उत्पादन सर्वाधिक होता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा संसाधनों के उचित विदोहन एवं इनकी उपयोगिता का ज्ञान होता है। इसके पश्चात् जनसामान्य के हित में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर इन संसाधनों का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के रूप में किया जाता है। (5) वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी औद्योगिक उत्पादन का आधार माना जाता है। वर्तमान समय में एक देश अपने उत्पादन को दूसरे देशों में बेचता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया के द्वारा भी औद्योगिक उत्पादन का विकास सम्भव हुआ है और शिक्षा के माध्यम से वैश्वीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया को बल मिला है। (6) विनिमय की प्रक्रिया भी औद्योगिक उत्पादन का आधार होता है। अनेक देश अपने देश का कच्चा माल दूसरे देशों को बेचते हैं जिससे उनके यहाँ औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। विनिमय का स्वरूप कच्चे माल, श्रम एवं पूँजी सभी क्षेत्रों में सम्भव होता है जिससे यह औद्योगिक उत्पादन का आधार बनता है। विनिमय की प्रक्रिया को सार्वभौमिक बनाने में शिक्षा का ही योगदान माना जाता है। (7) आधुनिकता भी औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि मानी जाती है परन्तु आधुनिकता एवं आधुनिक समाज का निर्माण शिक्षा द्वारा ही सम्भव हुआ है। आधुनिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता देखी जाती है। (8) जिस समाज में शिक्षा एवं उद्योगों का समन्वयन देखा जाता है उस समाज में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही औद्योगीकरण का सन्तुलित एवं उपयोगी रूप दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा के द्वारा ही उद्योगों में कम व्यय पर अधिक उत्पादन सम्भव होता है। इसलिये उद्योग विशेष के लिये विशेष कौशल एवं शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों को रखा जाता है। (9) तकनीकी शिक्षा को भी औद्योगिक उत्पादन की प्रमुख पृष्ठभूमि माना जाता है। जिस समाज में तकनीकी शिक्षा सर्वोत्तम होती है उस समाज में उद्योगों के लिये कुशल यन्त्र एवं कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता होती है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। (10) जब समाज की सोच व्यापक होती है तथा वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्रयास किये जाते हैं साथ ही आवश्यकता की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिये भी प्रयास किये जाते हैं तो इस स्थिति में औद्योगिक उत्पादन तीव्र होता है।

## 2. औद्योगिक उत्पादन का स्वरूप
## Nature of Industrial Production

औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया का स्वरूप पूर्णत: वैज्ञानिक एवं कलात्मक होता है। औद्योगिक उत्पादन की प्रकृति या स्वरूप को अग्रलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) वर्तमान समय में औद्योगिक प्रबन्धन सम्बन्धी शिक्षा छात्रों को पृथक् रूप से प्रदान की जाती है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन को सर्वाधिक एवं कम लागत पर लाने के लिये उसमें प्रबन्धन की आवश्यकता होती है। प्रबन्धन कला का विकास एवं प्रबन्धन तकनीकी का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। अत: औद्योगिक उत्पादन का स्वरूप प्रबन्धन से युक्त माना जाता है। (2) औद्योगिक नीतियाँ भी औद्योगिक उत्पादन के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। प्रत्येक समाज में उद्योगों की सफलता के लिये उत्पादित वस्तु की माँग एवं कच्चे माल की उपलब्धता आवश्यक होती है। यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। सरकार की सकारात्मक नीतियाँ ही औद्योगिक उत्पादन को सर्वाधिक बनाती हैं। (3) वर्तमान समय मशीनों का युग है। प्रत्येक उद्योग में तकनीकी का उपयोग होता है। जिस उद्योग में सर्वोत्तम तकनीकी का उपयोग होता है उसका उत्पादन भी सर्वाधिक होता है तथा उस उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत भी कम आती है। (4) उद्योग को एक कला के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अनेक बीमार उद्योगों को प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के समन्वयन के आधार पर कुशल प्रबन्धक द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उपयोगी सिद्ध कर दिया जाता है तथा उसका उत्पादन सर्वाधिक करके अपनी कुशलता को भी सिद्ध कर दिया जाता है। (5) वर्तमान समय में औद्योगीकरण में व्यापक रूप से यन्त्रों का प्रयोग होता है। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं थ्रेसर का प्रयोग तथा शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर, ओवरहैड प्रोजेक्टर तथा टेपरिकॉर्डर आदि का प्रयोग होता है। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन की प्रकृति मशीनीकरण एवं तकनीकी के व्यापक प्रयोग की ओर संकेत करती है। (6) उत्पादन की गुणवत्ता के लिये औद्योगिक उत्पादन में मशीनों एवं यन्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता की स्थिति उत्पन्न होती है; जैसे—एक कपड़े को घर पर बुनकर तैयार किया जाय तथा वही कपड़ा मशीन द्वारा तैयार किया जाय तो दोनों की गुणवत्ता में अन्तर होगा। अत: गुणवत्ता प्राप्त करने के लिये तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है। (7) वर्तमान समय में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना प्रत्येक देश के लिये आवश्यक है। भारत में भी जनाधिक्य होने के कारण उत्पादन को सर्वाधिक करना आवश्यक है। इसके लिये शिक्षा का सहारा लेकर एवं सर्वाधिक मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को अधिक किया जा सकता है। (8) वर्तमान समय में कम लागत पर अधिक उत्पादन करना ही औद्योगीकरण की कुशलता मानी जाती है। वर्तमान में प्रत्येक उद्योग द्वारा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके तथा संसाधनों में समन्वयन करके उत्पादन लागत को कम किया जाता है तथा जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। ये सभी शिक्षा के द्वारा ही सम्भव होता है। उद्योग के इस स्वरूप को मितव्ययी व्यवस्था कहते हैं। (9) वर्तमान समय में उत्पादन की उन विधियों का उपयोग किया जाता है जो कि प्रामाणिक एवं वैध हैं; जैसे—कृषि क्षेत्र में उन बीजों का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है जो कि प्रामाणिक, वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में विविध प्रकार की उपयोगी विधियों के माध्यम से उत्पादन अधिक किया जाता है। (10) वर्तमान समय में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में श्रम का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है जिससे श्रमिकों

को श्रम का पूरा लाभ प्राप्त हो सके तथा उनका श्रम पूर्ण उपयोग में आ सके। वर्तमान समय में कम श्रम के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जाता है। (11) वर्तमान समय में औद्योगिक व्यवस्था में कौशलों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। उद्योग में उत्पादन का स्तर उस स्थिति में उच्च होता है जब उत्पादन में लगा हुआ प्रत्येक साधन कुशल हो। इसके लिये उसको उचित प्रशिक्षण उसकी रुचि के अनुरूप मिलना चाहिये जो कि शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि में शिक्षा के द्वारा उत्पन्न विविध सामाजिक, आर्थिक एवं वैश्विक परिस्थितियाँ मानी जाती हैं। उत्पादन का स्वरूप भी पूर्णत: वैज्ञानिक विधियों, तकनीकी, यन्त्रीकरण एवं प्रबन्धन कला से सम्बन्धित है। वैज्ञानिकता के प्रभाव के कारण ही औद्योगीकरण की प्रक्रिया एवं स्वरूप सर्वोत्तम रूप में हैं।

## औद्योगीकरण एवं शिक्षा
## Industrialization and Education

वर्तमान समय में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की अहम् भूमिका है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप प्रदान करने में शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास छात्रों में किया जाता है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया उन देशों में ही अच्छी होती है जहाँ शिक्षा का स्तर उच्च होता है। औद्योगीकरण का प्रमुख सम्बन्ध सामान्य शिक्षा के पश्चात् व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से होता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति उद्योग विशेष के लिये अपने कौशलों का उपयोग करता है; जैसे—एक छात्र सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। इसके पश्चात् वह कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में से किसी एक उद्योग का चयन करता है। हार्डवेयर में वह नवीन कम्प्यूटरों का निर्माण करता है तथा सॉफ्टवेयर में वह कम्प्यूटरों के लिये विविध सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। इस प्रकार औद्योगीकरण का सम्बन्ध शिक्षा से प्रमुख रूप से पाया जाता है। औद्योगीकरण एवं शिक्षा के इस सम्बन्ध को अग्रलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है—

**1. शिक्षा एवं औद्योगीकरण एक-दूसरे के पूरक हैं** (Education and industrialization is the supplement to each other)—शिक्षा एवं औद्योगीकरण प्रारम्भिक अवस्था से ही एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास शिक्षा के द्वारा ही सम्भव होता है। औद्योगीकरण की आवश्यकता ने ही शिक्षा को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षालय दोनों के ही महत्त्व में वृद्धि हुई है क्योंकि उद्योगों के विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा के विविध रूप विविध उद्योगों का विकास सर्वोत्तम रूप में करते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

**2. सामाजिक विकास में सहायक** (Helpful in social development)—शिक्षा एवं उद्योग दोनों ही सामाजिक आवश्यकता हैं। किसी भी समाज का विकास दोनों पर ही निर्भर करता है। किसी भी समाज में जब शिक्षा का स्तर उच्च होता है तो प्रत्येक कार्य को करने की विधियाँ भी उच्च स्तरीय होती हैं। इसका प्रभाव उद्योग जगत् पर होता है। इस प्रकार शिक्षा एवं उद्योग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पूर्णत: विकसित एवं उच्च स्तरीय रूप में होती है।

**3. आर्थिक विकास का आधार** (Base of economic development)—औद्योगीकरण एवं शिक्षा आर्थिक विकास के प्रमुख आधार माने जाते हैं। सामान्य रूप से एक राष्ट्र को

सर्वप्रथम शिक्षित होना आवश्यक है। इसके बाद ही वह विविध क्षेत्रों में उद्योगों को सर्वोत्तम रूप में विकसित करता है। परिणामस्वरूप देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। इससे एक ओर समाज में धन की अभिवृद्धि होती है तो दूसरी ओर सुख प्राप्त होता है।

**4. कृषि विकास में सहायक** (Helpful in agriculture development)—शिक्षा के द्वारा ही कृषि विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिये कृषि शिक्षा का पृथक् स्वरूप है जिसके द्वारा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान एवं प्रयोग किये जाते हैं। प्राचीनकाल में कृषि हल एवं बैलों से की जाती थी। वर्तमान समय में कृषि ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से की जाती है। वर्तमान समय में उन्नत बीजों का उपयोग होता है जिससे उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार शिक्षा एवं कृषि उद्योग एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं।

**5. जीवन स्तर का विकास** (Development of life standard)—वर्तमान समय में जिन राष्ट्रों की शिक्षा का स्तर उच्च है उन राष्ट्रों का जीवन स्तर भी उच्च होता है क्योंकि वहाँ औद्योगिक विकास की स्थिति सर्वोत्तम रूप में होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जो कि उसके सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक होती हैं। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय मिलता है जिसके परिणामस्वरूप समाज का जीवन स्तर उच्च होता है।

**6. मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग** (Best use of human being resources)—मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षा एवं औद्योगीकरण द्वारा होता है। प्रत्येक छात्र में प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव होता है। जब किसी छात्र की प्रतिभा का विकास होता है तो उसका उपयोग वह मानवीय हित एवं समाज के विकास में करता है। इसके लिये वह अपनी प्रतिभा के अनुरूप उद्योगों का चयन करके स्वयं के हित एवं समाज के हित का कार्य करता है। इस प्रकार मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है।

**7. प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग** (Best use of natural resources)—प्रकृति में अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी संसाधन हैं। इनका ज्ञान मानव को तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको शिक्षा प्राप्त न हो। शिक्षा के माध्यम से विविध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का ज्ञान होता है। इसके उपरान्त उनका सर्वोत्तम उपयोग उद्योग द्वारा सम्भव होता है; जैसे—शिक्षा द्वारा कोयला एवं पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगाया जाता है तथा इन क्षेत्रों में खनन करके इनका उपयोग किया जाता है।

**8. राष्ट्रीय विकास में सहायक** (Helpful in national development)—शिक्षा एवं औद्योगीकरण का समन्वित रूप ही राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करता है; जैसे—वर्तमान समय में भारतीय समाज शिक्षित एवं सुसंस्कृत रूप में विश्व में अग्रणी है परन्तु औद्योगिक विकास में अग्रणी न होने के कारण इसका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। इस कारण से उसका विश्व में विकसित देशों में स्थान नहीं है। विश्व में जितने भी विकसित देश हैं उनमें औद्योगीकरण एवं शिक्षा दोनों ही सर्वोत्तम रूप में हैं। अतः इनका समन्वित रूप ही सर्वोत्तम माना जाता है।

**9. श्रम का उचित उपयोग** (Proper use of labour)—श्रम का उचित उपयोग शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव होता है तथा यह उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करता है। प्राचीनकाल में किसान बहुत अधिक श्रम करता था परन्तु उसको कम फल प्राप्त होता था परन्तु वर्तमान समय में किसान उन्नत बीजों का प्रयोग करता है तथा कृषि यन्त्रों का उपयोग करता है तो वह शिक्षा एवं उद्योग दोनों का ही उपयोग करता है। इससे कम श्रम में अधिक फल प्राप्त करता है।

**10. कौशलों का विकास एवं उपयोग** (Development and use of skills)—शिक्षा के माध्यम से छात्र में निहित कौशलों का उपयोग होता है। इन कौशलों का उपयोग वह औद्योगिक क्षेत्र में करता है; जैसे—एक छात्र में कम्प्यूटर के ज्ञान के प्रति रुचि है। शिक्षा के माध्यम से उसमें कम्प्यूटर के ज्ञान सम्बन्धी सभी तथ्यों एवं कौशलों को विकसित किया जाता है। इसके पश्चात् वह विविध प्रकार के कार्यक्रम तैयार करके कम्प्यूटर को सभी के लिये उपयोगी रूप प्रदान करता है।

**11. रोजगार का विकास** (Development of employment)—शिक्षा के माध्यम से औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है परिणामस्वरूप विविध उद्योगों में रोजगार की उपलब्धि होती है। वर्तमान समय में औद्योगीकरण एवं शिक्षा के विविध रूपों में या क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

**12. मितव्ययता का विकास** (Development of erugality)—शिक्षा एवं औद्योगीकरण के समन्वयन से मितव्ययता की स्थिति उत्पन्न होती है। मितव्ययता की स्थिति में कम धन में अधिक उत्पादन होता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नवीन एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में व्यर्थ के सामान से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करके तथा उसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगीकरण एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं जिन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता तथा इन दोनों के समन्वयन से ही विश्व का विकास सन्तुलित एवं सर्वोत्तम रूप में सम्भव होता है। विश्व पर दृष्टिपात करने से यह दृष्टिगोचर होगा कि जहाँ-जहाँ पर शिक्षा एवं औद्योगीकरण का समन्वित रूप है वहाँ पर विकास की प्रक्रिया सन्तुलित एवं सर्वोत्तम रूप में है। इसके विपरीत स्थिति में अविकसितता एवं असन्तुलन की स्थिति पायी जाती है। अतः वर्तमान शिक्षा एवं उद्योग दोनों को ध्यान में रखकर ही विद्यालयी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करनी चाहिये।

## लोकतन्त्र
## Democracy

अरस्तू के समय से लेकर आज तक साधारणतया शासन व्यवस्था के तीन रूप प्रचलित रहे हैं—(1) राजतन्त्र, (2) कुलीनतन्त्र और (3) लोकतन्त्र। लम्बे समय तक लोकतन्त्र का तात्पर्य एक प्रकार से ही लिया जाता था। यहाँ हम विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतन्त्र की अलग-अलग प्रकार की परिभाषाओं एवं व्याख्याओं को प्रस्तुत कर रहे हैं—

(1) **अब्राहम लिंकन** (Abraham Lincoin) के शब्दों में, "लोकतन्त्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिये शासन हो।" "Democracy is a government of people, by the people and for the people."

(2) **डायसी** (Dicey) के अनुसार, "लोकतन्त्र शासन का वह प्रकार है, जिसमें शासक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो।" "Democracy is a form of government in which governing body is comparatively a large fraction of the entire nation."

(3) **गिडिंग्स** (Giddings) के मतानुसार, "प्रजातन्त्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है वरन् राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है।" "Democracy may be

either a form of government, a form of state, a form of society or a combination of the three."

(4) **प्रो. मैक्सी** (Prof. Maxy) के शब्दों में, "बीसवीं सदी के प्रजातन्त्र से तात्पर्य एक राजनीतिक जीवन के उस मार्ग की खोज है, जिसमें मनुष्य की स्वतन्त्र और ऐच्छिक वृद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके।"

**प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) शासन के भेद** (Kinds of democratic government)—साधारणतया लोकतन्त्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं—

**1. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र** (Direct Democracy)—जब प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है और नीति निर्धारित करती, कानून बनाती और प्रशासनाधिकारी नियुक्त कर उन पर नियन्त्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहते हैं। **हर्नशा** के अनुसार, "शुद्ध रूप में लोकतन्त्रीय शासन वह शासन है, जिसमें सम्पूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है।" प्राचीनकाल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वज्जिसंघ में प्रत्यक्ष लोकतन्त्रात्मक शासन प्रचलित था। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही सम्भव हो सकती है और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना सम्भव नहीं है।

**2. प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र** (Representative Democracy)—जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसे प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहते हैं। संविधान के अनुसार, "प्रजातन्त्र, समाजवाद एवं धर्म निरपेक्षता के मूल्यों को स्वीकार कर लिया गया है। **जे. एस. गिल** के शब्दों में, "प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र वह होता है, जिसमें सम्पूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है, जिन्हें वह समय-समय पर चुनती है।" वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र ही स्थापित है।

## लोकतन्त्र के गुण
## Merits of Democracy

एक अच्छे लोकतन्त्रीय शासन की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार है—

**1. जनकल्याण की भावना** (Feeling of public welfare)—लोकतन्त्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिये करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित होते हैं, उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। इस प्रकार लोकतन्त्र का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें शासन आवश्यक रूप से लोक-कल्याण के लिये होता है।

**2. सर्वाधिक कार्यकुशल शासन** (The most competent government)—प्रजातन्त्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अन्तर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किये जाते हैं। **गार्नर** के अनुसार, "लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियन्त्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है।"

"Popular election, popular control and popular responsi-bility are more likely to ensure a greater degree of efficiency than any other system of government."

**3. सार्वजनिक शिक्षण** (Public teaching)--लोकतन्त्रात्मक शासन का एक गुण सार्वजनिक शिक्षण है। एक अच्छा लोकतन्त्र अपने क्रिया-कलापों (शासन प्रणाली) द्वारा सम्पूर्ण समाज का शिक्षण करता है। अत: स्वभावत: इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। **बर्न्स** के अनुसार, "सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किन्तु अच्छी शिक्षा स्व-शिक्षा है, इसलिये अच्छा शासन स्व-शासन है, जिसे लोकतन्त्र कहते हैं।"

**4. मनोविज्ञान के अनुकूल** (Psychological adjustment)—लोकतन्त्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सम्पूर्ण समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतन्त्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है, उनसे उन्हें यह मानसिक सन्तुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियन्त्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन मताधिकार है और इस आधार पर वे शासन व्यवस्था को दृढ़ और स्थायी बनाये रखने के लिये प्रत्येक सम्भव चेष्टा करते हैं। **हारकिंग** (Harking) के अनुसार, "लोकतन्त्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है।" "Democracy is the union of the conscious and sub-conscious mind."

**5. जनता का नैतिक उत्थान** (Moral development of the public)—प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके नैतिक चरित्र को उच्च करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतन्त्र उनमें आत्म-सम्मान और आत्म-निर्भरता की भावना उत्पन्न करता है।

**6. देश-भक्ति का स्रोत** (Source of patriotism)—लोकतन्त्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। **जे. एस. गिल** के शब्दों में, "लोकतन्त्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं।" "Democracy strenghters the love of Country because citizens feel that the government is their own creation and the magistrates are there servants rather than masters."

**7. क्रान्ति से सुरक्षा** (Safeguard against revolution)—लोकतन्त्र में क्रान्ति की सम्भावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है और यदि शासक अनुचित कार्य करे, तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। **गिलक्राइस्ट** (GilChrist) के अनुसार, "लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अत: स्वभाव से ही वह क्रान्तिकारी नहीं हो सकता।" "Popular government is a government by common consent, from its very nature, therefore, it is not revolutionary."

**8. समानता और स्वतन्त्रता पर आधारित** (Based on equality and liberty)—लोकतन्त्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है और जितनी स्वतन्त्रता जनता को लोकतन्त्र में प्राप्त होती है, उतनी स्वतन्त्रता सरकार के अन्य किसी रूप में नहीं मिलती। लोकतन्त्र कुलीनतन्त्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ... के लिये और कुछ

शासित होने के लिये ही पैदा हुए हैं वरन् यह तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और सम्पत्ति के भेद को महत्व न देते हुए मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है।

**9. विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना** (To imbibe the feelings of compromise and exchange of thoughts)—एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है। लोकतन्त्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग, विचार-विमर्श और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर इसमें श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

**10. विश्व-शान्ति का समर्थन** (Support of world peace)—विश्व-शान्ति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे विश्व-बन्धुत्व पर आधारित लोकतन्त्र के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। राजतन्त्र, सैनिकतन्त्र और फासिस्ट (तानाशाही) सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है और साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं। किन्तु लोकतन्त्रीय सरकारें सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती हैं। **बर्क** के अनुसार, "लोकतन्त्रीय आन्दोलन शान्ति का आन्दोलन रहा है।"

**11. विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक** (High encouragement of science)—राजतन्त्र और कुलीनतन्त्र में स्वतन्त्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है और स्वतन्त्रता के अभाव में विज्ञान का विकास सम्भव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतन्त्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास सम्भव है। जैसा कि **मेयो** ने कहा है, "एक स्वतन्त्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं।"

## भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के आदर्श
## Ideals of Indian Democratic System

लोकतन्त्र के विकास का आधार जनता है और जनता का आधार व्यक्ति होता है। अत: लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श योग्य नागरिक तैयार करना है, जिसके लिये व्यक्ति विकास, सुविधाएँ, स्वतन्त्रता और अवसर की इच्छा करता है। अत: लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में अग्रलिखित आदर्श माने जाते हैं—

**1. मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता और अवसर** (Opportunity and liberty of thinking)—लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति भाषण, समाचार-पत्र एवं लेखन क्रियाओं द्वारा अपना मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता का उपभोग करे और समालोचना का अवसर प्रदान करे। इस प्रकार यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विविध क्षेत्रीय समितियों का आयोजन करके व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता और अवसर दिया जा सके, परन्तु जो विचार जनहित के विरुद्ध हों उन पर प्रतिबन्ध लगाना भी आवश्यक है।

**2. व्यक्तित्व का आदर और सुरक्षा** (Defence and respect of personality)—व्यक्ति संसार की अपार निधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है, जिसकी सुरक्षा और आदर करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर होता है तो स्वतन्त्रता का विकास भी निश्चित है।

**3. जन-शक्ति का आदर** (Respect of public power)—व्यक्ति के विकास के लिये ही

शासन व्यवस्था की जाती है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में जनता द्वारा जनता के लिये लोकतान्त्रिक प्रयास किये जाते हैं। अत: जन-शक्ति का आदर करना इस शासन प्रणाली का मुख्य आदर्श होता है।

**4. बन्धुत्व की भावना का प्रसार** (Feeling of fraternity)—व्यक्ति जन्म से ही स्वतन्त्रता का अधिकारी है। स्वतन्त्रता के अधिकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति और समानाधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। इस आदर्श का व्यवहृत होना बहुत आवश्यक है।

**5. लोकतन्त्र में शान्ति का महत्व** (Importance of peace in democracy)—लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में सहयोग, बन्धुत्व और समानता के व्यवहार के लिये युद्ध विरक्तता और शान्ति स्थापना बहुत ही आवश्यक होती है। तभी जनसमूह पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकते हैं।

**6. लोकतन्त्र में अल्पसंख्यकों का स्थान** (Place of minorities in democracy)—लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में सम्प्रदायवाद, वर्गवाद, जातिवाद, भाषावाद और प्रान्तीयता को लेशमात्र भी स्थान नहीं दिया जाता। वे व्यक्ति जो किन्हीं आधारों पर अल्पसंख्यक हैं, उसी प्रकार की रचना, समानता, सुरक्षा और उन्नति के अधिकारी हैं, जैसे कि अन्य व्यक्ति।

**7. लोकहित और सहयोग की भावना** (Feeling of co-operation and public interest)—लोकतन्त्र में सामाजिकता और लोकहित को हानि पहुँचाने वाले व्यवहार अवांछनीय माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार या शोषण द्वारा राष्ट्र और समाज हित को हानि पहुँचाता है, तो वह व्यक्ति अवांछनीय माना जाता है।

**8. लोकतान्त्रिक सामाजिक वातावरण** (Democratic social environment)—लोकतन्त्र का आदर्श भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं धार्मिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समुन्नत बनाने का अधिकार है, परन्तु व्यक्ति कोई असामाजिक कृत्य करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है।

**लोकतन्त्र में शिक्षक का स्थान** (A place of teacher in democracy)—शिक्षा आदान-प्रदान की प्रक्रिया में अध्यापक का प्रमुख स्थान है। लोकतन्त्रात्मक राज्य में तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अध्यापक को अपने छात्रों के मध्य अपना स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक तथा समाज सुधारक के रूप में बनाना चाहिये। उसे यह ध्यान में रखना चाहिये कि उसका कर्तव्य पाठ्यक्रम की पूर्ति करना मात्र ही नहीं, वरन् छात्रों में सच्ची नागरिकता, सामाजिकता तथा सच्चरित्रता का भी विकास करना है। परन्तु यह कार्य तभी पूरा हो सकता है जबकि उसका प्रशिक्षण लोकतन्त्रीय आदर्शों के अनुरूप हुआ हो तथा वह सच्चरित्रता की भावनाओं से ओतप्रोत हो। अन्य शब्दों में, अध्यापक को स्वयं लोकतन्त्रीय तथा सामाजिकता की भावनाओं से ओत-प्रोत होना चाहिये। उसका व्यवहार छात्रों के प्रति नम्र, सहानुभूतिपूर्ण तथा भाई-चारे का होना चाहिये।

**लोकतन्त्रीय शिक्षा का महत्व** (Importance of democratic education)—लोकतन्त्र की सफलता का मुख्य आधार शिक्षा है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसी दशा में लोकतन्त्र की सफलता पर सन्देह किया जा सकता है। इस कारण ही संसार के प्रमुख लोकतान्त्रिक देशों में सर्वसाधारण में शिक्षा-प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है। वास्तव में शिक्षित नागरिक ही शासन तथा राजनीति के उत्तरदायित्व को वहन कर सकता है। लोकतन्त्रात्मक देशों में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। इस अधिकार के द्वारा वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है। शिक्षित नागरिक ही मतदान का उपयोग ठीक ढंग से कर

सकता है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनाती है जिससे वह उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से शासन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकें। वह नागरिकों के चरित्र का उत्थान करती है और उनमें प्रेम और उत्साह की भावना का संचार करती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। शिक्षा के अभाव में लोकतन्त्र के असफल होने की पूर्ण सम्भावना रहती है तथा प्रजातन्त्र के दोष उभर कर सामने आ जाते हैं।

**लोकतन्त्रीय शिक्षा का स्वरूप** (Form of democratic education)—लोकतन्त्र में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिये ? इस विषय पर **जॉन डीवी** लिखते हैं—"लोकतन्त्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये, जिससे व्यक्तियों में सामाजिक सम्बन्ध और नियन्त्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो जाये और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना सम्भव हो।" यथार्थ में लोकतन्त्रीय शिक्षा का मुख्य कार्य लोकतन्त्र की सुरक्षा करना, उसे बल प्रदान करना तथा लोकतान्त्रिक वातावरण उत्पन्न करना है। संक्षेप में, लोकतन्त्रात्मक देश में शिक्षा का स्वरूप भी लोकतन्त्रीय होना चाहिये।

## लोकतन्त्रीय शिक्षा के उद्देश्य
## Aims of Democratic Education

लोकतन्त्रीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

**1. सर्वसाधारण के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना** (Universalisation of education)—लोकतन्त्रात्मक राज्य में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सर्वसाधारण जनता को साक्षर बनाने के लिये शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना है। लोकतन्त्र जनता का शासन होता है। अत: यह आवश्यक है कि राज्य द्वारा सर्वसाधारण जनता की शिक्षा की पूर्ण तथा उचित व्यवस्था की जाये।

**2. लोकतन्त्रात्मक नागरिकता की भावना का विकास** (Development of emotion of democratic citizenship)— लोकतन्त्रीय शिक्षा का अन्य योगदान इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना है, जो नागरिकों में लोकतन्त्रीय नागरिकता की भावना का विकास कर सके। योग्य, सच्चे तथा ईमानदार नागरिकों के ऊपर ही लोकतन्त्र का भविष्य निर्भर है।

**3. सामाजिकता की भावना का विकास** (Development of emotion of sociality)—मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लोकतन्त्रात्मक समाज पूर्णतया सहयोग तथा प्रेम पर आधारित रहता है। अत: यह आवश्यक है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण को शिक्षा द्वारा यथासम्भव सामाजिक बनाया जाय।

**4. चहुँमुखी विकास करना** (All side development)—लोकतान्त्रिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का एकांगी विकास न कर चहुँमुखी विकास करना होना चाहिये। उसे केवल पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं प्रदान करनी चाहिये। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाये जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, कलात्मक और तकनीकी विकास हो सके।

**5. व्यावसायिक कुशलता का विकास** (Development of occupational skill)—आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर रहने वाला नागरिक मत का उचित प्रयोग बिना लोभ-लालच के कर सकता है। अत: शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाय, जिससे छात्र शिक्षा समाप्ति के पश्चात् किसी व्यवसाय में लग सकें। पाठ्यक्रम में तकनीकी और व्यावसायिक विषयों को भी स्थान दिया जाय। व्यावसायिक कुशलता ही आर्थिक कुशलता की जनक होती है।

**6. नेतृत्व का विकास** (Development of leadership)—लोकतन्त्र की सफलता बहुत कुछ कुशल तथा प्रतिभावान नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। आज का छात्र कल देश के शासन की बागडोर हाथ में लेगा। अत: यह आवश्यक है कि छात्रों को नेतृत्व का भी प्रशिक्षण दिया जाये।

**7. अच्छी आदतों का निर्माण** (Formation of good habits)—लोकतन्त्रीय समाज के नागरिकों में उत्तम आदतों का निर्माण परम आवश्यक है। अच्छी आदतें ही नागरिकों को परिश्रमी, सच्चरित्र तथा अनुशासित बनाती हैं। अत: प्रारम्भ से ही बालकों को अच्छी आदतों का अभ्यास बनाया जाय।

**8. कुशलताओं का सृजन** (Formation of skills)—कुशल और योग्य नागरिक ही देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी दशा में लोकतन्त्रीय शिक्षा का उद्देश्य बालकों में कुशलताओं का निर्माण तथा विकास करना होना चाहिये।

**9. व्यक्ति की रुचियों का विकास** (Development of individual interests)—लोकतन्त्रात्मक शिक्षा का अन्य उद्देश्य व्यक्ति की विभिन्न रुचियों का उचित दिशा में विकास करना है। श्रेष्ठ रुचियाँ व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक बनाती हैं। अत: शिक्षा का आयोजन इस ढंग से किया जाय, जिससे बालकों की विभिन्न रुचियाँ ठीक प्रकार से उचित दिशा में विकसित हो सकें।

## लोकतन्त्रीय व्यवस्था में शिक्षा का योगदान
## Contribution of Education in Democratic System

लोकतन्त्र की सफलता के लिये विद्यालयों में पूर्ण रूप से लोकतन्त्रीय वातावरण निर्मित किया जाना चाहिये। इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने के लिये प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, परोपकार आदि गुणों पर विशेष रूप से बल दिया जाय। दूसरे, विद्यालय के द्वार बिना किसी भेदभाव के समस्त वर्गों के लिये खुले रहें। तीसरे, विद्यालय का सम्बन्ध समाज से होना चाहिये। पाठ्यक्रम का निर्माण इस ढंग से किया जाय, जिससे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। चौथे, समाज को विद्यालय के निकट लाने के लिये विद्यालय के पुस्तकालय, वाचनालय तथा क्रीड़ा-स्थल आदि समाज के अन्य सदस्यों को उपयोग के लिये दिये जायें। पाँचवें, विद्यालयों को समाज के नवनिर्माण में भी योग देना चाहिये। इसके लिये विद्यालयों को छात्र-छात्राओं के दृष्टिकोण को प्रगतिशील बनाने के साधन जुटाने चाहिये। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में किस प्रकार सुधार लाया जाय, इस सन्दर्भ में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। अत: लोकतन्त्रीय व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है—

**1. व्यावहारिक आदर्शों का निर्धारण** (Assessment of applied ideals)—लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि समाज में ऐसे आदर्शों पर बल दिया जाय जो व्यावहारिक हों। उस समय सामाजिक व्यवस्था दुर्बल होने लगती है, जबकि आदर्शों का पालन नहीं किया जाता, केवल उनकी चर्चा होती है। इसीलिये सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने का एक उपाय है—व्यावहारिक आदर्शों का निर्धारण। दूसरे शब्दों में, समाज के सदस्यों को यह सिखाया जाय कि वे सामाजिक आदर्शों के अनुकूलन के लिये किस प्रकार कार्य कर सकते हैं ? इस बात पर बल दिया जाय, जिससे लोगों का आचरण लोकतान्त्रिक आदर्शों के अनुकूल बन जाय।

**2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास** (Development of scientific views)—सामाजिक

व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन भी एक उपाय है, जो लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। जब समाज के सदस्य अन्ध-विश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वे ऐसी बातों में विश्वास करने लगते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इसलिये इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वांछनीय विकास किया जाय।

**3. आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि** (Growth in economic wealth)—जब किसी समाज में आर्थिक सम्पन्नता का अभाव होता है और लोग गरीबी तथा बेकारी से पीड़ित होते हैं तब सामाजिक अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। गरीब और बेकार लोग किसी न किसी प्रकार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिलती है। आजकल जो तरह-तरह के नारे सुनायी पड़ते हैं, उनके मूल में आर्थिक सम्पन्नता की कमी है। लोकतन्त्र में समाजवाद का नारा इस बात पर बल देता है कि समाज के सभी वर्गों को प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों। सभी लोगों को आवश्यकतानुसार भोजन, वस्त्र तथा रहने के लिये मकान मिल सकें। फलतः सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने का तीसरा उपाय आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि करना है। दूसरे शब्दों में, सभी व्यक्तियों के लिये काम और रोजगार की व्यवस्था करना समाज का दायित्व माना गया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में वह व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न की जा सकती है, जो समाज की आर्थिक सम्पन्नता में सहायक होती है।

**4. सामाजिक नियन्त्रण की शिक्षा** (Education of social control)—सामाजिक व्यवस्था के सन्तोषजनक संचालन के लिये सामाजिक नियन्त्रण की शिक्षा निरन्तर होनी चाहिये। हमें यह ज्ञात है कि सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति वांछनीय भावनाएँ होती हैं। इन वांछनीय भावनाओं को उत्पन्न करना शिक्षा का कार्य है। अतः पाठ्यक्रम में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सामाजिक दृष्टि से वांछनीय नियमों के प्रति सभी छात्रों के मन में अनुकूल भावनाएँ हों।

**5. बेकारी समाप्त करना** (To remove unemployment)—आजकल भारत में शिक्षित बेकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षित बेरोजगार युवक बेकारी से ऊबकर हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। वे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो समाज और राष्ट्र के लिये अपमानजनक एवं हानिकारक हैं। वे अपने हिंसात्मक कार्यों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल बना रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि बेकारी समाप्त करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जायें। अतः शिक्षा को रोजगारपरक बनाना आवश्यक है।

**6. जन्म-दर पर रोक** (Control on birth-rate)—इन दिनों भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके लिये परिवार नियोजन का आन्दोलन चलाया जा रहा है। अच्छी सामाजिक व्यवस्था में सभी सदस्यों के लिये भोजन, वस्त्र और मकान की सन्तोषजनक व्यवस्था होती है, लेकिन जब जन्म-दर में तीव्र गति से वृद्धि होती है तब यह सम्भव नहीं होता। इसलिये जन्म-दर पर रोक लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये शैक्षिक पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

**7. कर्म पर आधारित सामाजिक ढाँचा** (Work based social structure)—जब व्यक्ति को जन्म, जाति अथवा आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर ऊँचा पद न देकर कर्म के आधार पर सामाजिक सम्मान प्रदान किया जाता है तब सामाजिक व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि सभी लोग अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कार्य कर प्रतिष्ठा पाते हैं, इसलिये सामाजिक

ढाँचे को कर्म पर आधारित किया जाना चाहिये और इसके लिये शिक्षा द्वारा छात्रों में प्रारम्भ से ही जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिये।

**8. अपराधियों को सुधारना** (Reformation of criminals)—समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी आन्तरिक दुर्बलता के कारण समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। वैसे तो कानून बना हुआ है कि जो अपराध करे उसे दण्ड दिया जाय, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि अपराधियों की दशा को सुधारने के लिये सभी प्रकार के उपाय काम में लाने चाहिये। ईसा ने कहा था कि "अपराध से घृणा करो, न कि अपराधी से।"

**9. सामाजिक सुरक्षा के उपाय ढूँढ़ना** (To find the measures of social security)—सामाजिक सुरक्षा समाज में उस समय होती है जबकि सभी वर्गों के लोग अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार कार्य कर सकते हों। प्रत्येक प्रकार के वर्ग भेद को समाप्त किया जाय, जितने भी अनैतिक कार्य हैं उन्हें रोका जाये। सामाजिक सुरक्षा का एक अच्छा उपाय है—लोगों में अच्छे विचारों का प्रसार करना। वैसे तो सरकार की ओर से भी सभी कार्य समाज के कल्याण के लिये किये जाते हैं लेकिन समाज के सदस्यों का भी यह दायित्व है कि वे समाज के हित को ध्यान में रखकर ऐसे कार्य करें जिससे कि सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। इस प्रकार की जागरूकता केवल शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

**10. भ्रष्टाचार को रोकना** (To prevent curruption)—आजकल सामान्य धारणा बनी गयी है कि प्राय: 90% लोग भ्रष्ट हैं, सभी कार्यालयों में, विद्यालयों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार रोकने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि लोग भली-भाँति यह समझ लें कि गलत तरीके से काम करना या कराना अनैतिक और समाज की दृष्टि से निन्दनीय है और स्वयं के लिये घातक भी और यह समझ अच्छी शिक्षा व्यवस्था द्वारा छात्रों में उत्पन्न की जा सकती है।

**11. शिक्षा पद्धति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन** (Change in education system according to need)—शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सन्तुलित रखा जा सकता है, लेकिन कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायें, जो कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उदाहरणार्थ, यदि समाज में कुशल तकनीकी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है तो शिक्षा में तकनीकी विषयों को उच्च स्थान देना चाहिये। इन दिनों बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। अत: सभी लोग इसे निकम्मी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। शिक्षा पद्धति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था को चुस्त बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

**12. सांस्कृतिक विलम्बना को दूर करना** (Removal of cultural lag)—समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सांस्कृतिक विलम्बना उस समय उपस्थित होती है, जब लोगों के कार्यों और विचारों में मेल नहीं होता। आज ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जो गरीबी, बीमारी एवं बेकारी को मिटा सकें। लेकिन उन मूल्यों का अभाव है, जो ऐसा करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा तो अधिक होती है, लेकिन कार्य-कुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने के लिये सांस्कृतिक विलम्बना को दूर रखा जाय और इसे उत्पन्न होने का अवसर नहीं दिया जाय। इस कार्य के लिये भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की महती आवश्यकता है।

## व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचार
## Ideas of Individual Autonomy

शिक्षा का उद्देश्य सामान्य रूप से किसी भी तथ्य पर विचार-विमर्श एवं चिन्तन के लिये योग्यता प्रदान करना है। सामान्य रूप से ज्ञान का विस्तार तार्किक सोच एवं चिन्तन का ही परिणाम है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न स्थितियों के मूल में व्यक्तिवादी सोच एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरणार्थ, प्राचीनकाल में शिष्य सुनता था तथा गुरु प्रवचन देता था। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सम्पन्न होती थी। धीरे-धीरे इस तथ्य में तार्किक चिन्तन किया गया एवं समालोचनात्मक पूर्वक विचार किया गया तो यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिससे छात्र को मूक श्रोता बना दिया जाय। इस स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद वर्तमान समय में गतिविधि आधारित शिक्षण की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें प्रत्येक छात्र करके सीखता है तथा अपने कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी सोच के लिये यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति का विकास एवं सम्मान उच्च स्तरीय होना चाहिये। कोई भी संस्था व्यक्ति से उच्च नहीं हो सकती। विद्यालयी व्यवस्था बालकों के लिये तैयार की जाती है न कि बालक विद्यालयों के लिये। इसलिये समाज की सोच को पूर्णतः व्यक्तिवादी होना चाहिये। शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्ववादी सोच पर आधारित होना चाहिये। अनेक प्रकार की विद्यालयी व्यवस्था एवं शैक्षिक प्रणाली बालकों पर प्रतिबन्ध लगाकर व्यक्तिवादी सोच के विरुद्ध कार्य करती हैं जिससे कि बालक के स्वाभाविक विकास पर प्रतिबन्ध लग जाता है। जबकि विद्वानों का मानना है कि बालक का विकास पूर्णतः स्वतन्त्र वातावरण में एवं स्वाभाविक रूप से होता है। व्यक्तिवादी सोच में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप अग्रलिखित तथ्यों पर आधारित होना चाहिये—

**1. प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली** (Naturalistic education system)—छात्रों को प्रकृति द्वारा शिक्षण ग्रहण करने की व्यवस्था होनी चाहिये। बालक प्रकृति के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षक द्वारा एक कुशल पर्यवेक्षक की भाँति छात्रों का पर्यवेक्षण करना चाहिये तथा उनको आवश्यक सहयोग करना चाहिये; जैसे—छात्रों में स्वच्छता की आदत डालनी हो तो छात्रों के समक्ष इस प्रकार का वातावरण उपस्थित किया जाय कि छात्र स्वाभाविक रूप से स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें।

**2. पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का समावेश** (Inclusion of co-curricular activities)—सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का समावेश अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके आधार पर छात्रों को उचित मागदर्शन दिया जाता है; जैसे—एक छात्र संगीत में अपनी रुचि का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को उसके लिये संगीत के विकास सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना चाहिये।

**3. बालकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली** (Child centred education system)—सामान्यतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालकों को केन्द्र बिन्दु मानकर ही शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वे सभी प्रयास किये जाते हैं जो कि बालकों के स्वाभाविक विकास से सम्बन्धित होते हैं। छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर ही गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं; जैसे—एक छात्र कौशलों के प्रति रुचि रखता है वहीं दूसरा छात्र दर्शन के प्रति रुचि

रखता है तो दोनों का ही रुचि के अनुसार मार्गदर्शन करना तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना शिक्षक का दायित्व होता है।

**4. गतिविधि आधारित शिक्षा** (Activity based education)—व्यक्तिवादी सोच के आधार पर ही गतिविधि आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गयी है क्योंकि विभिन्न छात्रों में भिन्न प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है, जिसके आधार पर ही उनकी प्रतिभाओं के निखार हेतु कक्षा-कक्ष में गतिविधियों का आयोजन किया जाता है; जैसे—कुछ छात्रों की विज्ञान में रुचि होती है उनको प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कुछ छात्रों की खेलकूद में रुचि होती है तो उनको खेल के मैदान में विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।

**5. पृथक् पाठ्यक्रम की व्यवस्था** (Arrangement of separate curriculum)—व्यक्तिवादी सोच के आधार पर ही पृथक् पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक एवं मन्द बुद्धि बालकों के लिये पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रमों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालकों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है तथा अधिगम तीव्र गति से होता है।

**6. पृथक् शिक्षण विधियाँ** (Separate teaching methods)—पृथक् शिक्षण विधियों का प्रयोग भी व्यक्तिवादी सोच पर ही आधारित है। प्रतिभाशाली बालकों के लिये तथा मन्द बुद्धि बालकों के लिये शिक्षा व्यवस्था में पृथक् शिक्षण विधियों का प्रावधान है। इसके आधार पर जब छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने की विधियाँ प्राप्त होती हैं तो उनके सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है तथा वे स्वाभाविक रूप से स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।

**7. छात्र को महत्त्वपूर्ण स्थान** (Important place to student)—व्यक्तिवादी सोच में छात्र को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। व्यक्तिवादी सोच के आधार पर सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके लिये विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना तथा विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का क्रियान्वयन किया जाता है। व्यक्तिवादी के सोच के अनुसार छात्र सर्वोपरि है। विद्यालयी व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली का स्थान बाद में आता है। अत: छात्र को प्रत्येक अवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

**8. नियन्त्रण का अभाव** (Lack of control)—सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विद्यालयों में नियन्त्रण का पूर्ण अभाव होता है या वर्तमान समय में व्यक्तिवादी सोच ने इस धारणा को समाप्त कर दिया है। आज की शिक्षा प्रणाली में छात्रों को पूर्ण रूप से गतिविधियाँ करने की स्वतन्त्रता होती है। छात्रों पर विद्यालयी व्यवस्था एवं शिक्षक द्वारा अनावश्यक प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते, जिससे बालक का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाये। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूर्णत: नियन्त्रण रहित तथा व्यक्तिवादी सोच का विकास करने वाली है।

**9. वैचारिक स्वतन्त्रता** (View freedom)—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को अधिक सुना जाता है तथा उनसे उनकी रुचियों के बारे में पूछा जाता है। शिक्षक द्वारा उनकी वार्तालाप प्रक्रिया में सहयोग दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर से ही विभिन्न